संख्या–1703/29–7–2008–1–पी0पी0/2000

प्रेषक,

जैकब थॉमस,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

खाद्य तथा रसद अनुभाग–7

लखनऊ : दिनांक 5 अगस्त, 2008

विषय : **पेट्रोल एवं डीजल पम्पों के निरीक्षण/छापे की कार्यवाही एवं नमूने के परीक्षण। (Marketing Descipline Guide Lines, 2005 के अनुसार)**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, शासनादेश संख्या–129/29–7–2003–1–पी0पी0/2000, दिनांक 17 जनवरी, 2004, शासनादेश संख्या–1307/29–7–2008–1–पी0पी0/2008, दिनांक 17.06.2008 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें जिसमें पेट्रोल/डीजल पम्पों के निरीक्षण/छापे की कार्यवाही एवं नमूने के परीक्षण हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश निर्गत किये गये थे। उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश दिनांक 17 जनवरी, 2004 तथा 17 जून, 2008 को अतिक्रमित करते हुए शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं जिनका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय :–

1– पम्पों का निरीक्षण एक टीम द्वारा किया जाना चाहिए जिसका प्रधान एक एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अथवा जिलापूर्ति अधिकारी से निम्न श्रेणी का अधिकारी न हो और सदस्य इंस्पेक्टर श्रेणी से नीचे का न हो। उक्त टीम में तेल उद्योग के जिला समन्वयक या तेल कम्पनियों के अधिकारी भी शामिल रहे। आयल कम्पनी के अधिकारी अधिकृत पेट्रोल/डीजल पम्प की जांच में ही सदस्य होंगे। यथा संभव त्रैमास में एक बार टीम द्वारा आकस्मिक निरीक्षण अवश्य किया जाय।

2– पम्पों के निरीक्षण के दौरान पेट्रोल और डीजल की डेंसिंटी (Density) का परीक्षण अवश्य किया जाय इसके फेल होने पर ही सामान्यतया उस पदार्थ का नमूना लैब में विश्लेषण हेतु लिया जाय। फिर भी यदि जांच अधिकारियों को समाधान हो जाता है कि डेंसिंटी निर्धारित सीमा के अन्तर्गत होते हुए भी अपमिश्रण किये जाने की आशंका है तब ऐसी दशा में उक्त अधिकारी जांच प्रक्रिया को जारी रख सकते हैं। डेंसिंटी (Density) टेस्ट फेल होने की स्थिति में पम्प के सभी पदार्थों की बिक्री व आपूर्ति तुरन्त निलम्बित कर दी जाय जब तक कि जांच की प्रक्रिया पूरी न हो जाय तथा मीटर रीडिंग तथा टैंक डिप रीडिंग को रिपोर्ट में दर्ज कर लिया जाय।

3– **डेंसिटी चेक (Density Check) :–**

निरीक्षण के दौरान चेक की गई डेंसिटी (Density) के अनुरूप 15^0 सेल्सियस की डेंसिटी ASTM चार्ट में देख ली जाय। इस डेंसिटी (Density) का डीलर द्वारा तेल कम्पनी से प्राप्त डीजल की रिकार्डेड डेंसिटी (Recorded Density) जो कि रजिस्टर में रिकार्ड होना चाहिए से अन्तर ± 3.000 Kg/m^3 से अधिक नहीं होनी चाहिए।

Scanned with CamScanner

4–(क) डेंसिटी (Density) टेस्ट के फेल होने पर उक्त पदार्थ का नमूना MS/HSD कन्ट्रोल आर्डर 2005 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार लेकर 10 दिनों के भीतर निम्नलिखित प्रयोगशाला में से किसी एक प्रयोगशाला में अवश्य भेज दिया जाय तथा उसकी टेस्टिंग प्रयोगशाला में प्राप्त होने के 20 दिन के अन्दर अवश्य हो जाय जिससे कि उस पदार्थ की गुणवत्ता प्रभावित न हो तथा 5 दिन के अन्दर सैम्पुल की विश्लेषण रिपोर्ट से सम्बंधित रिटेल आउट्लेट को अवगत करा दिया जाय। इन नमूनों का विश्लेषण लैब द्वारा बी0आई0एस0 स्पेसिफिकेशन द्वारा निर्धारित टेस्ट प्रक्रिया से ही किया जाय। इनमें से किसी भी टेस्ट का फेल होना तेल में होने वाली गड़बड़ी/अपमिश्रण को दर्शाता है।

4–(ख) नमूने के परीक्षण हेतु मान्य प्रयोगशालायें :–

क– इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड सूबेदारगंज, इलाहाबाद।

ख– इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड मुगलसराय।

ग– इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड, पनकी, कानपुर।

घ– इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड, मथुरा रिफाइनरी प्रयोगशाला, मथुरा।

ड.– चीफ कन्ट्रोलरेट आफ मैटिरियल, आई0जी0एस0 पोस्ट बाक्स नं0–229–कानपुर।

च– इण्डियन इंस्टीट्यूट आफ पेट्रोलियम, देहरादून।

छ– उत्तर प्रदेश की सभी विधि विज्ञान प्रयोगशालायें। (पेट्रोल के नमूने के विश्लेषण में यदि RON TESTING की सुविधा उपलब्ध है तभी)

ज– भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन मुगलसराय।

झ– भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0 मथुरा रिफाइनरी प्रयोगशाला, मथुरा।

5– नमूना लेने की प्रक्रिया :–

क– डेंसिटी (Density) टेस्ट के फेल होने की स्थिति में निरीक्षण अधिकारी द्वारा नाजिल में से पदार्थ का नमूना लिया जायेगा।

ख– अधिकारी द्वारा मोटर स्प्रिट के छः नमूने लिये जायेंगे तथा निर्धारित प्रपत्र पर प्रविष्टियां अंकित करते हुए उस पर अधिकारियों एवं डीलर के हस्ताक्षर होंगे ये नमूने सील होंगे 2 नमूने डीलर या उसके प्रतिनिधि को ऍक्नालेजमेंट के साथ दिया जायेगा जो उनके द्वारा जांच पूरी होने तक संभाल कर रखा जाय। दो नमूने जांच अधिकारी द्वारा रखा जाय तथा 2 नमूने बी0आई0एस0 मानक के अनुसार विश्लेषण हेतु प्रयोगशाला को 10 दिन के अन्दर भेज दिया जाय।

ग– अधिकारी द्वारा हाई स्पीड डीजल के 3 नमूने लिये जायेंगे जिन पर अधिकारियों एवं डीलर के हस्ताक्षर होंगे तथा यह नमूने सील होंगे। पहला नमूना डीलर या उनके प्रतिनिधि को ऍक्नालेजमेंट के साथ दिया जाय दूसरा नमूना जाँच अधिकारियों द्वारा रखा जाय तथा तीसरा नमूना बी0आई0एस0 मानक के अनुसार विश्लेषण हेतु प्रयोगशाला को 10 दिन के अन्दर भेज दिया जाय।

Scanned with CamScanner

घ- तेल का नमूना साफ एल्यूमिनियम के डिब्बे में (प्लास्टिक के बोतल का प्रयोग न किया जाय) लिया जाय। डिब्बे का नमूना लिये जाने वाले तेल से धो लिया जाय। ताकि कोई अशुद्धता न रह जाय एवं इसे निर्धारित लकड़ी के सील्ड डिब्बे में रखा जाय।

ङ- एल्यूमिनियम डिब्बे एवं लकड़ी के बाक्स पर लगाये जाने वाले लेबल पर पेट्रोल पम्प का नाम, तेल कम्पनी का नाम, पदार्थ का नाम, पदार्थ की मात्रा, तारीख, निरीक्षण अधिकारी का नाम व हस्ताक्षर तथा डीलर या उसके प्रतिनिधि का नाम व हस्ताक्षर होना आवश्यक है।

च- प्रयोगशालाओं द्वारा नमूने का बी0आई0एस0 मानकों द्वारा विश्लेषण नमूना प्राप्त होने के 10 दिनों के भीतर किया जायेगा।

6- यदि प्रयोगशालाओं द्वारा उपलब्ध कराई गई टेस्ट रिपोर्ट के अनुसार नमूना बी0आई0एस0 द्वारा निर्धारित तथा उपरोक्त बिन्दु–3 में दर्शाये किसी टेस्ट मे फेल हो जाता है तो ऐसी स्थिति में डीलर को कारण बताओ नोटिस दिया जाय और यदि डीलर का जवाब असंतोषजनक हो तो मार्केटिंग डिसिप्लीन गाइड लाइन्स के अनुसार निम्नलिखित कार्यवाही की जाय :–

(1) मोटर स्प्रिट/हाई स्पीड डीजल में अपमिश्रण :–

सैम्पुल फेल होने पर रिटेल डीलरशिप एजेन्सी टर्मिनेट (Terminate) कर दी जायेगी।

(2) मोटर स्प्रिट/हाई स्पीड डीजल में घटतौली :–

क- घटतौली की स्थिति में विधिक बांट व माप विभाग द्वारा लगाई गई सील ठीक पाये जाने पर बिक्री और आपूर्ति संबंधित यूनिट से निलम्बित कर दी जाय जब तक की दुबारा कैलिब्रेशन विधिक माप विज्ञान विभाग द्वारा तेल कम्पनी के अधिकारी की उपस्थिति में न कर दिया जाय।

ख- घटतौली की स्थिति में विधिक माप विभाग द्वारा लगाई गई सील के क्षतिग्रस्त/बाह्य कारकों द्वारा प्रभावित पाये जाने पर डीलरशिप समाप्त कर दी जायेगी।

3- घटतौली की स्थिति में टोटलाइजर सील क्षतिग्रस्त पाये जाने पर डीलरशिप समाप्त कर दी जायेगी।

4- *डिस्पेंसिंग यूनिट में अतिरिक्त/अनाधिकृत अवस्थापना/गियर्स पाये जाने पर।*

डीलरशिप निरस्त कर दी जायेगी।

5- अनाधिकृत भण्डारण :– अनाधिकृत भण्डारण पाये जाने पर निम्न कार्यवाही की जाये।

क- रिटेल आउटलेट में लाइसेंस द्वारा अधिकृत भण्डारण क्षमता के सिवाय अनाधिकृत भण्डारण होने पर डीलरशिप निरस्त कर दी जायेगी।

ख- रिटेल आउटलेट पर अनाधिकृत भण्डारण हेतु जिसकी पाइप लाइन यदि कहीं से लाई गई हो तो डीलरशिप निरस्त कर दी जायेगी।

6- पेट्रोल/डीजल का अनाधिकृत खरीद बिक्री व अदला–बदली पाये जाने पर :–

डीलरशिप निरस्त कर दी जायेगी।

Scanned with CamScanner

7– निरीक्षण के समय डेंसिटी के सभी मानक न उपलब्ध होने या अनुरक्षण न होने पर :–

(i) सभी चीजों की बिक्री व आपूर्ति तुरन्त निलम्बित कर दिया जाये।

(ii) सैम्पुल टेस्ट के बाद यदि सैम्पुल पास हो जाये तो निर्धारित जुर्माना प्रथम बार रूपये 10,000.00/– तथा चेतावनी, दूसरी बार रूपये 25,000.00/– तथा तीसरी बार व उसके बाद भी रूपये 50,000.00/– लेकर बिक्री आपूर्ति बहाल कर दी जाये।

(iii) सैम्पुल फेल हो जाने पर डीलरशिप निरस्त कर दी जाय।

7– नार्मल पेट्रोल/डीजल को ब्राण्डेड के मूल्य पर विक्रय करना :–

सामान्य पेट्रोल/डीजल ब्राण्डेड के मूल्य पर बिक्री करने पर डीलरशिप निरस्त कर दी जाये।

8– स्टाक वैरिएशन की जांच :– डीजल व पेट्रोल पम्पों के निरीक्षण के समय टैंक के स्टाफ वैरीयेशन की जांच भी अवश्य कर ली जाय। टैंकों में स्टाक का अन्तर पिछली निरीक्षण रिपोर्ट में दिखाये गये स्टाक के अनुसार निकाला जाना चाहिए। पेट्रोल/डीजल के स्टाक में अन्तर यदि निरीक्षण के समय के स्टाक पर 4 प्रतिशत छूट की मात्रा तथा निम्नलिखित रख–रखाव/वाष्पन छूट से अधिक निकलता हो तभी कार्यवाही की जाय :–

क– रख–रखाव/वाष्पन की छूट की मात्रा पेट्रोल में :–

0.75 प्रतिशत औसत वार्षिक बिक्री 600 किलोलीटर तक

0.60 प्रतिशत औसत वार्षिक बिक्री 600 किलोलीटर से ऊपर

ख– रख–रखाव/वाष्पन छूट की मात्रा डीजल में :–

0.25 प्रतिशत औसत वार्षिक बिक्री 600 किलोलीटर तक

0.20 प्रतिशत औसत वार्षिक बिक्री 600 किलोलीटर से ऊपर

यदि स्टाक में अन्तर उपरोक्त छूट के बाहर आता है तो मार्केटिंग डिसीप्लीन गाइड लाइन्स के अनुसार सारे पदार्थों की बिक्री एवं आपूर्ति तुरन्त निलम्बित कर दी जाय, तेल का नमूना लिया जाय तथा उसको विश्लेषण हेतु प्रयोगशाला में भेज दिया जाय एवं प्रस्तर–7 के उपरोक्तानुसार डीलर का स्पष्टीकरण 07 दिनों के भीतर मांगा जाय तथा निम्नानुसार कार्यवाही की जाये :–

(i) यदि स्पष्टीकरण संतोषजनक हो तथा सैम्पिल पास हो जाय तो बिक्री आपूर्ति बहाल कर दी जाय।

(ii) यदि सैम्पल पास भी हो जाय परन्तु स्पष्टीकरण संतोषजनक न पाया जाय तो डीलरशिप निरस्त कर दी जाय।

(iii) यदि स्पष्टीकरण संतोषजनक न पाया जाय तथा सैम्पिल भी फेल हो जाये तो डीलरशिप निरस्त कर दी जाय।

9– अनाधिकृत रूप से किसी टैंकर से पेट्रोल डीजल उतारते हुए पाये जाने पर डीलरशिप निरस्त की जाय।

10– डीलर द्वारा टैंकर से सैम्पिल भरकर न रखने पर :–

(i) प्रथम बार रूपये, 50,000/– का जुर्माना

(ii) दूसरी बार निरस्तीकरण की कार्यवाही

Scanned with CamScanner

11– जांच/स्टॉक/बिक्री से सम्बन्धित रिकार्ड का रख–रखाव

निरीक्षण (जांच) स्टॉक तथा बिक्री रजिस्टर मेनटेन न करने पर निम्न दण्ड दिया जायेगा –

1– प्रथम बार रूपये 25,000/– का जुर्माना तथा 15 दिन तक सभी वस्तुओं की बिक्री/आपूर्ति निलम्बित की जाय।

2– दूसरी बार रूपये 50,000/– का जुर्माना तथा 30 दिन तक बिक्री/आपूर्ति निलम्बित की जाय।

3– तीसरी बार से डीलरशिप निरस्त की जायेगी।

12– जांच/स्टॉक/बिक्री तथा अन्य रिकार्ड की अनुपलब्धता पर निम्न कार्यवाही की जायेगी :–

1– प्रथम बार में रूपये 10,000/– जुर्माना

2– दूसरी बार में रूपये 25,000/– जुर्माना

3– तीसरी बार व उसके बाद रूपये 50,000.00 प्रत्येक बार

13– पेट्रोल/डीजल का ज्यादा मूल्य लेने पर :–

1– प्रथम बार रूपये 25000/– जुर्माना तथा बिक्री/आपूर्ति 15 दिनों के लिए निलम्बित

2– दूसरी बार रूपये 50,000/– का जुर्माना तथा बिक्री आपूर्ति 30 दिनों के लिए निलम्बित

3– तीसरी बार पाये जाने पर डीलरशिप निरस्त की जाय।

14– शासकीय नियमों का पालन न किये जाने पर :–

1– प्रथम बार रूपये 25000/– जुर्माना तथा बिक्री/आपूर्ति 15 दिनों के लिए निलम्बित।

2– दूसरी बार रूपये 50,000/– का जुर्माना तथा बिक्री आपूर्ति 30 दिनों के लिए निलम्बित।

3– तीसरी बार पाये जाने पर डीलरशिप का निरस्तीकरण किया जाय।

15– डीलर द्वारा सैम्पिल लेने व जांच से मना करने पर :–

1– प्रथम बार रूपये 50,000/– जुर्माना तथा बिक्री/आपूर्ति 45 दिनों के लिए निलम्बित

2– दूसरी बार रूपये 100000/–का जुर्माना तथा बिक्री आपूर्ति 90 दिनों के लिए निलम्बित

3– तीसरी बार पाये जाने पर डीलरशिप निरस्त की जाय।

16– डीलर तथा उसके कर्मियों द्वारा जांच अधिकारी व उपभोक्ताओं से अभद्र व्यवहार करने व शिकायती रजिस्टर न देने पर

1– प्रथम बार रूपये 10,000/– जुर्माना

2– दूसरी बार रूपये 25,000/– का जुर्माना

3– तीसरी बार रूपये 50,000/– तथा चौथी बार में डीलरशिप निरस्तीकरण की कार्यवाही की जाय।

Scanned with CamScanner

17– मुफ्त हवा, पानी, रेडियेटर पानी, स्वच्छ प्रसाधन सुविधा, टेलीफोन, प्रथम चिकित्सा व्यवस्था नवीनतम औषधियों सहित तथा पी0यू0सी0 की सुविधा न होने पर –

1– प्रथम बार रूपये 10,000/– जुर्माना

2– दूसरी बार रूपये 25,000/– का जुर्माना

3– तीसरी बार व उसके बाद पाये जाने पर रूपये 100000/– का जुर्माना तथा 45 दिनों के लिए बिक्री व आपूर्ति निलम्बित

18– पी0यू0सी0 सुविधा धारक के द्वारा फर्जी प्रमाण पत्र जारी करने पर –

1– प्रथम बार में रूपये 25000/– जुर्माना तथा बिक्री/आपूर्ति 15 दिनों के लिए निलम्बित।

2– दूसरी बार में रूपये 50,000/– का जुर्माना तथा बिक्री/आपूर्ति 30 दिनों के लिए निलम्बित रहेगी।

3– तीसरी बार में रूपये 100000/– तथा 45 दिनों के लिए बिक्री/आपूर्ति निलम्बित रहेगी। तीसरी बार के बाद भी यही व्यवस्था लागू होगी।

19– पेट्रोल/डीजल का उचित मूल्य न दर्शाने पर –

1– प्रथम बार में रूपये 10000/– जुर्माना।

2– दूसरी बार में रूपये 25,000/– का जुर्माना।

3– तीसरी बार में रूपये 50,000/– का जुर्माना तथा 15 दिन के लिए बिक्री/आपूर्ति निलम्बित।

20– रख–रखाव व आवश्यक सुविधायें न दिये जाने पर –

1– प्रथम बार में रूपये 5000/– जुर्माना

2– दूसरी बार में रूपये 10,000/– का जुर्माना

3– तीसरी बार में रूपये 15000/– का जुर्माना

8– उक्त के अतिरिक्त पेट्रोल/डीजल पम्पों के निरीक्षण के अतिरिक्त रिटेल आउटलेट–ल्यूब्स तथा एस0के0ओ0 एजेन्सी में मिलावट, व्यवर्तन आदि अनियमितता पाई जाये तो मार्केटिंग डिसिप्लीन गाइड लाइन्स, 2005 में निहित व्यवस्थानुसार दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

9– स्टेट लेवल को–आर्डिनेटर, लखनऊ द्वारा सभी जिला स्तर समन्वयकों (District Co-ordinaters) को यह निर्देश अपने स्तर से निर्गत कर दिये जायें कि वह जिले के सभी सक्षम अधिकारियों को निरीक्षण करने की उपरोक्त जाये कि वह जिले के सभी सक्षम अधिकारियों को निरीक्षण करने की उपरोक्त विधि के बारे में विस्तार से अवगत करा दें। इस संबंध में आपके द्वारा भी जिला स्तर समन्वयकों के साथ सम्पक्र किया जा सकता है।

जिलापूर्ति अधिकारी अपने डिस्ट्रिक्ट को–आर्डिनेटर से "टेस्टिंग किट" (भुगतान पर) एवं इसके प्रयोग की विधि प्राप्त कर लें।

Scanned with CamScanner

10– उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पेट्रोल/डीजल लाइसेंसियों द्वारा रखे/बेंचे जा रहे पेट्रोल एवं डीजल का समय–समय पर व्यापक तौर पर नमूना लिया जाना सुनिश्चित करें। दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम से संबंधित प्रकरणों में क्रमशः शासनादेश संख्या–2574/29–7–2001–एम–11/94 दिनांक 30 अक्टूबर, 2001 संख्या–3615/29–7–2003–एम–11/94, दिनांक 29 नवम्बर, 2003 के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 406, 407, 409, 415, 416 एवं 420 तथा प्रिवेंशन आफ ब्लैक मार्केटिंग एण्ड मेंटीनेन्श आफ सप्लाईज आफ एसेंसियल कमोडिटीज एक्ट 1980 के संगत प्रावधानों के अन्तर्गत बड़े एवं कुख्यात व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाय।

11– उपर्युक्त प्रस्तरों में रिटेल आउटलेट डीलर के विरूद्ध जो दण्ड का प्राविधान है, वह ऑयल कम्पनी और रिटेल आउटलेट डीलर के मध्य निष्पादित एग्रीमेंट के अन्तर्गत होने के कारण ऑयल कम्पनी के सक्षम प्राधिकारी के द्वारा दण्ड निश्चित किया जायेगा।

12– यह भी निर्देशित किया जाता है कि भारत सरकार के मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) संशोधन आदेश 2007 के द्वारा मोटर स्प्रिट उच्च वेग डीजल में "माक्रर" सम्मिलित किया गया है। इसका तात्पर्य 'वह रासायनिक पदार्थ है जिसका केन्द्रीय सरकार द्वारा मिट्टी तेल और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों में मिश्रण के लिए उनके विपथन या मोटर स्प्रिट या उच्च वेग डीजल की मिलावट को रोकने के उद्देश्य से समय–समय पर अनुमोदन किया जाता है।' अतः मिलावट से संबंधित प्रकरणों के संबंध में इसका विशेष ध्यान रखा जायेगा। माक्रर टेस्ट में पिंक रिजल्ट का आना स्वयं में अपमिश्रण का प्रमाण है अतः माक्रर टेस्ट फेल होने की दशा में नमूनों का रासायनिक विश्लेषण किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

13– मिलावट के विरूद्ध चलाये गये अभियान की पाक्षिक समीक्षा जिले स्तर पर जिलाधिकारी स्वयं करें तथा विस्तृत रिपोर्ट शासन को भी उपलब्ध करायेंगे।

अतः आपसे निवेदन है कि शासन के उपर्युक्त निर्णयों के अनुसार अपने जनपद में तद्विषयक कार्यवाही का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें तथा इन आदेशों से जिला स्तर के सभी प्रवर्तन अधिकारियों को भली–भाँति अवगत भी करा दें।

भवदीय,
(जैकब थॉमस)
प्रमुख सचिव।

संख्या–1703(1)/29–7–2008–1–पी0पी0/2000, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

2– समस्त संभागीय खाद्य नियंत्रक, उत्तर प्रदेश।

3– समस्त उपायुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग, उत्तर प्रदेश।

Scanned with CamScanner